तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/टी.ए./1300/2005/बीकानेर सरकार बनाम गोविन्दराम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य

उपस्थितः—
श्री रामसुख चौधरी, राजकीय उप अधिवक्ता प्रार्थी
अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक 10.2.2020

यह रेफरेंस प्रार्थना पत्र धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) के अन्तर्गत कलक्टर एवं उपायुक्त उपनिवेशन, बीकानेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11—3—2005 से राजस्व मण्डल को प्रेषित किया गया है ।

सक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व मण्डल द्वारा पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 29—4—97 के अनुसार प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया ाि कि अप्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर देकर यदि उचित समझें तो पुनः रैफरेन्स किया जावे। इस आदेश की पालना में तहत अदालत ने मामले में पुनः सुनवाई कर यह रेफरेन्स राजस्व मण्डल को प्रेषित किया है।

अप्रार्थी श्री आसकरण की मृत्यु हो चुकी थी इसलिए उसके वारिसान गोविन्दराम को नोटिस जारी किया गया **जिसके** तथ्य इस प्रकार हैं कि अप्रार्थीगण केपिता श्री आसकरण ने सहायक आयुक्त उपनिवेशन कोलायत के समक्ष एक वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वे ग्राम बीकमपुर के मूल निवासी हैं। ग्राम बीकमपुर के पुराने खसरा नंबर 665 व नये खसरा नंबर 139/1 की 57.10 बीघा भूमि उनके पुश्तैनी कब्जेकाश्त में है। बंदोबस्त के दौरान उक्त आराजी को आराजीराज दर्ज कर दिया जबकि उन्हें ऐसा करने के अधिकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/टी.ए./1300/2005/बीकानेर सरकार बनाम गोविन्दराम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	नहीं थे । विवादित भूमि पर वादी की ढाणी व कुण्ड बने है अतः वाद प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण ने निवेदन किया कि उपरोक्त विवादित भूमि उनके नाम दर्ज की जावे। इस पर सहायक आयुक्त कोलायत ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21–2–83 द्वारा अप्रार्थीगण को वादग्रस्त भूमि पर गैरखातेदार दर्ज कर उनके नाम रिकार्ड में दर्ज करने का आदेश दिया। प्रार्थी व अप्रार्थी की बहस सुनकर कलेक्टर एवं उपायुक्त उपनिवेशन बीकानेर द्वारा यह पाया कि विवादित भूमि के पुश्तैनी कब्जा काश्त होने का कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है तहसीलदार ने अपने जबावदावे में यह अंकित कियाहै कि संवत 2019 से 2038 की खसरा गिरदावरी में अप्रार्थी का नाम अंकित नहीं है संवत 2039 में खसरा नंबर 139/2 की 5 बीघा नाजायज काश्त दर्ज है इनत थ्यों की अनदेखी कर डिक्री पारित की है जो निरस्त योग्य है संवत 2012 से पूर्व के लगातार कब्जा काश्त पाये जाने पर खातेदारी लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15एएए में प्रावधान दिए है इस प्रकार निर्णय एवं डिक्री निरस्त योग्य है । उक्त आधार पर कलेक्टर एवं उपायुक्त उपनिवेशन बीकानेर द्वारा सहायक आयुक्त उपनिवेशन कोलायत द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को निरस्त करने हेतु यह रेफरेन्स मण्डल को प्रेषित किया है । उप राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई । विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने तर्क दिया कि विवादित भूमि के संबंध में अप्रार्थी का कोई अधिकार नहीं बनता है । राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 अथावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में गैर खातेदारी अधिकारों की घोषणा का प्रावधान नहीं है । सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत द्वारा तथ्यों की अनदेखी कर निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21–2–93 पारित की है जो निरस्त कर रेफरेन्स स्वीकार किया जावे । हमने उप राजकीय अधिवक्ता के तर्को पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया ।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/टी.ए./1300/2005/बीकानेर सरकार बनाम गोविन्दराम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि सहायक आयुक्त उपनिवेशन कोलायत ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21–2–83 से ग्राम बीकमपुर के पुराने खसरा नंबर 665 व नये खसरा नंबर 139/1 की 57.10 बीघा भूमि का गैर खातेदार घोषित किया । जबकि राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 अथवा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में गैर खातेदारी अधिकारों की घोषणा का प्रावधान नहीं है । संवत 2012 से पूर्व के लगातार कब्जाकाश्त पाये जाने पर खातेदारी के लिए धारा 15एएए में विशिष्ट प्रावधान दिए गए है । इसप्रकार सहायक आयुक्त कोलायत द्वारा इन तथ्यों की अनदेखी कर निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो निरस्तनीय है। पत्रावली में उपलब्ध तहसीलदार के जबावदावे का अवलोकन किया गया उसमें यह भी उल्लेखित है कि प्रार्थी का नाम समरी खसरा संवत 2012 ग्राम बीकमपुर मेंअंकित नहीं है । संवत 2019 में कैफियत के कॉलम में बदस्तूर के नीचे आराजीराज दर्ज है। उक्त तथ्यों की अनदेखी कर सहायक आयुक्त कोलायत द्वारा विधिविरूद्व डिक्री पारित की है ऐसे विधि विरूद्व डिक्रीको रेफरेन्स के माध्यम से कभी भी निरस्त किया जा सकता । अतः रेफरेन्स स्वीकार योग्य है। अतः रेफरेन्स स्वीकार किया जाता है । सहायक आयुक्त, उपनिवेशन, कोलायत द्वारा अप्रार्थीगण के पक्ष में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21–2–83 निरस्त की जाती है । निर्णय की सूचना उप राज0 अधिवक्ता को दी जावे। निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली नियमानुसार लौटाई जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(सुरेन्द्र माहेश्वरी)** **सदस्य**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/टी.ए./1300/2005/बीकानेर सरकार बनाम गोविन्दराम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए